101

संख्या-3402/1-10-2013-14(23)/2004

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 11 नवम्बर, 2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयत्रों एवं मशीनों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयत्रों एवं मशीनों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 14,45,50,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-3/ख-85(फायर आपदा राहत)-2012, दिनांक 31-03-2013 (जो गृह पुलिस अनुभाग-7 एवं 8 को सम्बोधित है) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि स्वीकृत धनराशि में से रू0 7,92,60,416/-(सात करोड़ बानबे लाख साठ हजार चार सौ सोलह मात्र) की धनराशि समर्पित कर दी गयी है अर्थात धनराशि आहरित नहीं की गयी है। अब उ0प्र0 फायर सर्विस/गृह विभाग द्वारा सन्दर्भित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 7,64,87,432/- (रूपये सात करोड़ चौंसठ लाख सत्तासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र) की मांग की गयी है। अतः विषयगत मामले में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार/अपेक्षानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 7,64,87,432/- (रूपये सात करोड़ चौंसठ लाख सत्तासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- शासन द्वारा स्वीक़त धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3402 (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

http://rahat.up.nic.in